न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिरोही राजस्थान
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड, आर.ए.एस.
न्याय आपके द्वार अभियान2018 के तहत रा.लो.अ. केंप कोर्ट अटल सेवा केन्द्र डोडुआ

रा.प्रा.पत्र संख्या 62/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
मंगलसिंह पुत्र जुहारसिंह जी जाति राजपूत आयु 54 वर्ष निवासी कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही		1– श्रीमती पाबूदेवी पत्नि मूलारामजी जाति जाति मेघवाल निवासी कालन्द्री 2– जोधाराम पुत्र गणेशाजी जाति जोगी निवासी सिन्दरथ तहसील व जिला सिरोही 3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर वकील श्री जितेन्द्रसिंह देवडा
अप्रार्थी सं. 3 तहसीलदार, सिरोही

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.अभिधृति अधिनियम के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने

निर्णय दिनांक 27–6–2018

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राजस्थान अभिधृति अधिनियम के तहत विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तक का वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 20–1–2017 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त की राजस्व आराजी मौजा डोडुआ पटवार हल्का डोडुआ तहसील सिरोही जिला सिरोही मे आयी हुई है। जिसके खसरा नंबर 312 रकबा 1.4500 हेक्टेयर किस्म नहरी 2 है। उपरोक्त कृषि आराजी का प्रार्थी खातेदार कृषक है तथा काश्त कर अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता है। प्रार्थी की खातेदारी की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि से लगती अप्रार्थी संख्या 1 तथा अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 83 रकबा 2.9700 हेक्टेयर किस्म नहरी 2 एवं खसरा संख्या 84 रकबा 0.9900 हेकटेयर किस्म नहरी 2 व सिवाय चक की भूमि खसरा संख्या 81 रकबा 0.9000 किस्म गै.मु. मगरी तथा खसरा संख्या 85 रकबा 0.4300 हेक्टेयर किस्म गै.मु. कातरा की भूमि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी से लगती हुई उतर पूर्व की ओर रास्ता सार्वजनिक दर्ज है। प्रार्थी की अपनी कृषि आराजी पर आने जाने हेतु तथा मवेशी, ट्रेक्टर, बैलगाडी इत्यादि के लिये कोई रास्ता दर्ज नही है। पिछले कई वर्षो से सार्वजनिक आम रास्ते से लगती खातेदारी भूमि खसरा संख्या 83 व 84 एवं सिवाय चक की भूमि खसरा संख्या 85 की वर्णित आराजी के भूभाग मेसे होकर लोर के सहारे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 312 मे वर्णित आराजी मे पिछले कई वर्षो से आता जाता रहा है तथा उक्त भाग को रास्ते के रूप मे निरन्तर व निर्बाध रूप से उपयोग वउपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी अपने खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 312 की आराजी मे आने जाने हेतु जिस भाग को रास्ते के रूप मे उपयोग कर रहा है। उक्त रास्ते की आराजी को संलग्न नक्शे मे लाल स्याही से डोटेड (.....) कर दर्शाया गया है। उपरोक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजी मे आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता विकल्प नही है। प्रार्थी द्वारा उपयोग किया जा रहा है वह रास्ता राजस्व ररेकर्ड जमाबंदी व नक्शा मे इन्द्राज नही होने से अप्रार्थी संख्या 01 व 02 पिछले 2–3 माह से प्रार्थी के आवागमन मे दखलंदाजी देते रहे है व आने जाने मे बाधा उत्पन्न कर रहे है और उक्त रास्ते को जबरदसी कांटो की बाड लगाकर बंद कर दिया है एवं रास्ते को अवरूद्व कर दिया है। जिससे प्रार्थी को अपनी आराजी तक जाने हेतु एक मात्र नजदीक

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001

Continue Page No 2

उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही होने से प्रार्थी 12 फीट चौडाई मे संलग्न नक्शे मे संलग्न नक्शे मे वर्णित लाल स्याही डोटेड अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 व 02 तथा सिवायचक की भूमि मेसे रास्ता घोषित कर उसका राजस्व रेकर्ड मे जमाबंदी व नक्शे मे इन्द्राज व तरमीम करने का आदेश प्रदान करावें ।इसके लिये प्रार्थी नियमानुसार शुल्क राशि वहन करने को तैयार है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 401 किस्म चाही 2 ग्राम मौजा डोडुआ पटवार हल्का डोडुआ तहसील सिरोही के खसरा नंबर 312 रकबा 1.4500 हेक्टेयर किस्म नहरी 2 तथा अप्रार्थी भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार/सिरोही)के जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता नंबर 01 राजस्थान सरकार के खसरा नंबर 81 रकबा 0.9000 किस्म गै.मु. मगरी तथा खसरा नंबर 85 रकबा 0.4500 हेक्टेयर किस्म गै.मु. पत्थर अप्रार्थी सं.1 पाबूदेवी पत्नि मूलाराम जाति मेघवाल सा.कालन्द्री खातेदार के खातेदारी की कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता नंबर 300 खसरा नंबर 83 रकबा 2.9700 हेक्टेयर किस्म नहरी 2 तथा अप्रार्थी संख्या 2 खातेदार के खातेदारी की कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता नंबर 202 खसरा नंबर 84 रकबा 0.9900 हेक्टेयर किस्म नहरी 2 तथा नजरी नक्शा किश्तवार का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तो न्यायालय प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से आश्वस्त होने से दिनांक 20–1–2017 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया जिस पर इस न्यायालय मे सुनवाई दिनांक 10–3–2017 को नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया । अप्रार्थी संख्या एक को नोटिस तामिली इस न्यायालय मे दिनांक 10–3–2017 को प्राप्त होने के बावजूद न्यायालय मे निरन्तर स्वंय या इनके वकील कोई भी न्न्यायालय मे हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा दिनांक 7–11–2017 को अप्रार्थी संख्या एक के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश प्रारित किये गये । इस न्यायालय मे विचारण प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 15–9–2017 को अप्रार्थी संख्या 3 स्टेट तहसीलदार/सिरोही की ओर से जरिये पत्रांक 143 दिनांक 7–6–2017 को जवाब पेश हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया । उक्त जवाब मे तहसीलदार/सिरोही ने कथन किया कि प्रार्थी के प्रार्थलनापत्र के पद संख्या 1 व 2 का कथन स्वीकार करते हुये यह कथन किया कि प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि मे जाने हेतु रिकार्ड मे रास्ता नही है। प्रार्थी मौके अनुसार नक्शे मे दर्शाये डोटेड स्थान से ही आता जाता है। तथा प्रार्थी की खातेदारी मे जाने हेतु अन्य रास्ता नही है। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे जाने हेतु रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नही है। अतः वांछित रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थी को रास्ता दिये जाने हेतु निम्नानुसार भूमि रास्ते मे आती है।

कं.सं.	ख.नं.	रकबा	किस्म	रास्ता मे आ भूमि	रेकर्ड अनुसार खातेदार
1–	83	2.97 हैक्टे.	एग्रो.प्रोसेस	0.09 हैक्टे.	पाबूदेवी/मूलाराम मेघवाल भूमि एग्रो.प्रोसेस मे संपरिर्वतन है।
2–	84	0.99 हैक्टे.	नहरी 2	0.06 हैक्टे.	जोगाराम पुत्र गणेशाजी जोगी निवासी सिंदरथ
3–	85	0.45 हैक्टे.	गै.मु.पत्थर	0.02 हैक्टे.	राजकीय भूमि
4–	81	0.90 हैक्टे.	गै.मु.मगरी	0.05 हैक्टे.	राजकीय भूमि
				0.22 हैक्टे.	

उक्त खसरा नंबर 83 की सम्पूर्ण भूमि एग्रो.प्रोसेसिंग हेतु संपरिर्वतन की हुई है

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001

Continue Page No 3

आज दिनांक 27–6–2018 को विचारण प्रकरण की यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र डोडुआ मे मेरे समक्ष पेश हुई । प्रार्थी की ओर से वकील श्री जितेन्द्रसिंह देवडा हाजिर हुये तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को बावजूद केम्प कोर्ट मे हाजिर होने का नोटिस तामिली के उपरान्त भी दौराने सुनवाई हाजिर नही हुये । अप्रार्थी संख्या 3 स्टेट तहसीलदार/सिरोही दौराने सुनवाई हाजिर हुये । वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही द्वारा विचारण प्रकरण मे प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251–क/आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251–क/आर.टी.एक्ट कर न्यायहित मे स्वीकार फरमाकर प्रार्थी अपने खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 312 की आराजी मे आने जाने हेतु जिस भाग को रास्ते के रूप मे उपयोग कर रहा है। उक्त रास्ते की आराजी को संलग्न नक्शे मे लाल स्याही से डोटेड (.....) कर दर्शाया गया है। उपरोक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजी मे आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता विकल्प नही है। प्रार्थी द्वारा उपयोग किया जा रहा है वह रास्ता राजस्व ररेकर्ड जमाबंदी व नक्शा मे इन्द्राज नही होने से अप्रार्थी संख्या 01 व 02 पिछले 2–3 माह से प्रार्थी के आवागमन मे दखलंदाजी देते रहे है व आने जाने मे बाधा उत्पन्न कर रहे है और उक्त रास्ते को जबरदसी कांटो की बाड लगाकर बंद कर दिया है एवं रास्ते को अवरूद्व कर दिया है। जिससे प्रार्थी को अपनी आराजी तक जाने हेतु एक मात्र नजदीक उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही होने से प्रार्थी 12 फीट चौडाई मे संलग्न नक्शे मे संलग्न नक्शे मे वर्णित लाल स्याही डोटेड अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 व 02 तथा सिवायचक की भूमि मेसे रास्ता घोषित कर उसका राजस्व रेकर्ड मे जमाबंदी व नक्शे मे इन्द्राज व तरमीम करने का आदेश प्रदान करावें ।इसके लिये प्रार्थी नियमानुसार शुल्क राशि वहन करने को तैयार है।

अप्रार्थी संख्या 3 स्टेट की ओर से तहसीलदार/सिरोही ने अपनी बहस मे जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि खसरा नंबर 83 जिसमे रास्ता प्रस्तावित किया है उक्त खसरा नंबर 83 की सम्पूर्ण भूमि एग्रो प्रोसेसिंग हेतु संपरिर्वतन की हुई है। लेकिन अप्रार्थी संख्या एक ने राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षैत्रों मे कृषि भूमि का अकृषि रूपान्तरण कृषि प्रसंस्करण और कृषि कारबार उपक्रम (एग्रो प्रोसेसिंग एण्ड एग्रो.बिजनेस) प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाकर अप्रार्थी संख्या 2 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर जिस प्रयोजनार्थ से भूमि रूपान्तरण करवाकर अप्रार्थी संख्या 2 सागर कुंवर पत्नि मंगलसिंह राठौड नि. कालन्द्रली को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर जिस प्रयोजनार्थ से भूमि रूपान्तरण करवाई थी उसका आदिनांक तक उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग नही किया गया है। इस कारण भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार/सिरोही) के उक्त ख.नं. 83 की भूमि का अवैध हस्तान्तरण होने के कारण अर्न्तगत धारा 175 आर.टी.एक्ट के तहत प्रकरण अप्रार्थी पाबूदेवी पत्नी मूलाराम मेघवाल के विरूद्व बनाकर श्रीमान के न्यायालय मे जरिये पत्रांक 1143 दिनांक 13–3–2018 को पेश कर दिया है। अतः विचारण प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251–क/आर.टी.एक्ट का खारिज करवाना फरमावें ।

हमने विचारण प्रकरण मे वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही द्वारा विचारण प्रकरण मे प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251–क/आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनकर उस पर गंभीरता से मनन किया । विचारण प्रकरण की पत्रावली के संलग्न प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251–क/आर.टी.एक्ट व संलग्न अप्रार्थी संख्या 3 के जवाब तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड की प्रतियों का भी गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर भी मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन से यह पाया कि खसरा नंबर 83 जिसमे रास्ता प्रस्तावित किया है उक्त खसरा नंबर 83 की

Continue Page No 4

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001

सम्पूर्ण भूमि एग्रो प्रोसेसिंग हेतु संपरिर्वतन की हुई है। लेकिन अप्रार्थी संख्या एक ने राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षैत्रों मे कृषि भूमि का अकृषि रूपान्तरण कृषि प्रसंस्करण और कृषि कारबार उपक्रम (एग्रो प्रोसेसिंग एण्ड एग्रो.बिजनेस) प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाकर अप्रार्थी संख्या 2 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर जिस प्रयोजनार्थ से भूमि रूपान्तरण करवाकर अप्रार्थी संख्या 2 सागर कुंवर पत्नि मंगलसिंह राठौड नि. कालन्द्रली को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर जिस प्रयोजनार्थ से भूमि रूपान्तरण करवाई थी उसका आदिनांक तक उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग नही किया गया है। इस कारण भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार/सिरोही) के उक्त ख.नं. 83 की भूमि का अवैध हस्तान्तरण होने के कारण अर्न्तगत धारा 175 आर.टी.एक्ट के तहत प्रकरण अप्रार्थी पाबूदेवी पत्नी मूलाराम मेघवाल के विरूद्व बनाकर पेश किया है जो इस न्यायालय मे विचाराधीन है। जब तक इस विचाराधीन प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 175 आर.टी.एक्ट का गुणावगुण के आधार पर विधिवत रूप से इस न्यायालय द्वारा निस्तारित नही किया जाता है उससे पूर्व इस विचारण प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251–क/आर.टी.एक्ट मे तब तक इस प्रकरण न तो किसी प्रकार का आदेश पारित नही कर सकते है और न ही स्वीकार कर सकते है। अतःउपरोक्त सभी के आधार पर विचारण प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251–क/आर.टी.एक्ट का खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। उपरोक्त निर्णय रा.लो.अ. केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र डोडुआ मे मजमे आम मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

27/6/18
सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 27–6–2018 को मेरे हस्ताक्षर/पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

27/6/18
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही (राज०)